संख्या-132/2022/1085/004-23-9-2022-01नाबार्ड(सेतु)-2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2022

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में 07 सेतुओं हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 1981.94 लाख(जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 1561.56 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 420.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

(क) रेल उपरिगामी सेतु:-

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	रेलवे भाग की लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1488/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/LKO/2022-23 Dt-16-09-2022	उन्नाव	जनपद उन्नाव में उन्नाव से गंगा बैराजसरैया (कानपुर) क्रासिंग पर रेलवे सम्पार सं0-40सी/2ई पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	09/2022/आई/130016/2022-23-9099/3474/2020	7883.51	3518.68	1095.10	0.00	6788.41	859.76	231.45	1091.21
2	1489/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/MRT/2022-23 Dt-16-09-2022	बागपत	जनपद बागपत में उत्तर रेलवे के दिल्ली-टपरी-शाहदरा-सहारनपुर सेक्शनके बडौतकासमपुर - खेडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित सम्पार संख्या49ए, किमी0 49/5-6 (बडौत - मुजफ्फरनगर सडक पर (मार्ग02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	09/2022/आई/130016/2022-23-9099/3774/2020	2963.17	433.51	636.31	0.00	2326.86	498.28	134.14	632.42
			योग							1358.04	365.59	1723.63

(क) सेतु:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मुख्य अभियंता(सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि		
									अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1490/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/MBD/2022-23 Dt-16-09-2022	बिजनौर	जनपद बिजनौर में नूरपुर स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग प्र)0 जि0मार्ग-26) के किमी0-10 में कडूला नदी पर 3x18.75 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	19/2018/127/23-9--2018-06नाबार्ड(सेतु)/2017 लो0नि0वि0 अनु0-9,	344.33	336.33	0.00	8.00	6.30	1.70	8.00
2	1491/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt-16-09-2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में अवथहीं भांवरकोल मार्ग पर अवथहीं डोमडेरा के पास पुलिया का निर्माण।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड (सेतु/(2019	52.42	20.97	0.02	31.43	24.76	6.66	31.42
3	1491/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt-16-09-2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में कोटवा नारायनपुर लठ्ठूडीह मार्ग पर बसनियां के पास क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नयी पुलिया का निर्माण।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड (सेतु/(2019	90.31	36.12	0.03	54.16	42.67	11.49	54.16
4	1491/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt-16-09-2022	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में कुण्डेसर कबीरपुर अवथहीं लठ्ठूडीह मार्ग के किमी0-7 में बाक्स कल्वर्ट का निर्माण।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड (सेतु/(2019	52.63	21.06	0.02	31.57	24.86	6.69	31.55
5	1491/CE-SEB/NABARD(BRIDGE)/VNS/2022-23 Dt-16-09-2022	चंदौली	जनपद चन्दौली में ग्राम बिन्दपुरवा गड़ई नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड (सेतु/(2019	272.32	122.05	3.47	146.8	104.93	28.25	133.18
				योग					**203.52**	**54.79**	**258.31**
			तालिका क+ख का महायोग						**1561.56**	**420.38**	**1981.94**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक्पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 15,61,56,000 (रुपये पंद्रह करोड़ इकसठ लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था**मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य(*2*) रुपये 4,20,38,000 (रुपये चार करोड़ बीस लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन

संख्या-132/2022/1085(1)/004-23-9-2022-01नाबार्ड(सेतु)-2021 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in